



2026:AHC:26121

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं. - 4578 सन् 2026

बृजनाथ मौर्य और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य और 14 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : सतीश चंद्र यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, जी.ए.

न्यायालय सं. - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेया

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी अधिकारियों को वाद संख्या 00585 सन् 2019 (राज्य बनाम राजेंद्र और अन्य) में 2019 की धारा 133 सीआरपीसी और सहायक कलेक्टर सीनियर डिवीजन द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2022 का पालन करने का निर्देश देने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत वाद संख्या 959 सन् 2017 (ग्राम सभा बनाम राम लोचन) में तहसीलदार (न्यायिक), सकलडीहा, चंदौली के खिलाफ अराजी संख्या 717 एम रकबा 0.014 हेक्टेयर पर अवैध अतिक्रमण हटाने के संबंध में प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश देने के लिए दायर की गई है।
3. रिकॉर्ड के अवलोकन से, यह परिलक्षित होता है कि याचिकाकर्ता वर्तमान रिट याचिका में अजनबी है। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को न तो कोई पूर्वाग्रह और न ही चोट पहुंचाई गई है, इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
3. वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेया)

फरवरी 5, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"